

## भारत सरकार Government of India रेल मंत्रालय Ministry of Railways रेलवे बोर्ड (Railway Board)



RBA No. 02 /2024

No.2021/ACII/9/2/e3349409

New Delhi, dated: 12.01.2024

**PFAs** 

All Zonal Railways/ PUs.

Sub: Authorisation of DBS Bank India Limited for handling e freight business on behalf of Ministry of Railways and approval of e- FPB for collection, settlement and reporting of e-freight collection and allotment of privilege code for settlement with RBI/CAS/Nagpur.

\*\*\*\*

Please find enclosed copies of RBI/ DGBA/ Mumbai's letter no. CO.DGBA. GBD.No./ S853/47-01-033/2023-24 dated 05.12.2023 authorising DBS Bank India Limited for handling e-freight business on behalf of Ministry of Railways and RBI/ DGBA/ Mumbai's letter no. CO.DGBA. GBD.No./ S975/47-01-033/2023-24 dated 01.01.2024 authorising DBS Bank India Limited, New Delhi Branch (IFS Code: DBSSOIN0820) as e-Focal Point Branch for settlement and reporting of e-freight collection on behalf of Ministry of Railways for information and necessary action.

Kindly acknowledge receipt.

DA: As above

(Ajay Bartwal)

Jt. Director Finance (CCA)

Railway Board

Ph.No. 011-23047018

E mail ID: ajay.bartwal@gov.in

## Copy to

- 1. Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Deptt. of Govt. and Bank Accounts, Byculla Office Building, Opposite Mumbai Central Railway Station, Byculla, Mumbai-400 008.
- 2. Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Mahalekha Niyantrak Bhawan, E-Block, GPO Complex, Behind DDA Headquarters, Vikas Sadan, INA Colony, New Delhi.
- 3. Executive Director and India Head –Government Banking /DBS Bank India Limited, 2<sup>nd</sup> Floor, Building No.10 C, DLF Cyber City-Phase III, Gurugram, Haryana-122002.
- 4. Advisor/MR, OSD/MR, OSD/Co-ord/MR, Additional PS/MR.







www.rbi.org.in

CO.DGBA.GBD.No.S852/47-01-033/2023-2024

05 दिसम्बर 2023

प्रबंध निदेशक और सीईओ डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड पहली मंजिल, प्रक्सप्रेस टावर्स नरीमन प्रॉइंट मुंबई - 400 021

महोदय,

रेल मंत्रालय की ओर से ई-फ्रेंट कारोबार के संचलन के लिए डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड का प्राधिकरण

महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 23 नवम्बर 2023 के पत्र सं. R-23001/1/2021-GBA-CGA/767-769 के माध्यम से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, हम डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड को रेल मंत्रालय की ओर से ई-फ्रेट कारोबार के संचलन के लिए प्राधिकृत करते हैं।

2. तदनुसार, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड से अपेक्षित है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक, महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पालन करें। साथ ही बैंक द्वारा उपरोक्त सरकारी कारोबार प्रारम्भ किए जाने की तारीख मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर- 440 001 को भेजने के साथ-साथ सभी संबन्धितों को सूचित करें तथा इसकी सूचना हमें भी दें।

The Managing Director and CEO
DBS Bank India Ltd
First Floor, Express Towers
Nariman Point
Mumbai - 400 021

Dear Sir,

Authorisation of DBS Bank India Ltd. for handling e-freight business on behalf of Ministry of Railways

On the basis of the request received from the Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Government of India vide letter No. R-23001/1/2021-GBA-CGA/767-769 dated November 23, 2023 we hereby authorise DBS Bank India Ltd. for handling e-freight business on behalf of Ministry of Railways.

2. Accordingly, DBS Bank India Ltd. should adhere to the instructions issued by Reserve Bank of India, the Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance and Ministry of Railways from time to time. Further, the date of commencement of the above mentioned Government business by the bank may please be communicated to all concerned including the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur-440 001, under advice to us.

भवदीय/ Yours faithfully

81-

(श्रीनी नायर / Sreeni Nair) उप महाप्रबंधक / Deputy General Manager

उक्त दिनांक का परांकन डीजीबीए.जीबीडी.सं. S853/47-01-033/2023-2024 Endt: DGBA.GBD.No.S853/47-01-033/2023-2024

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित: Copy forwarded for information and necessary action to :

्रा. महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक भवन, ई ब्लॉक, जीपीओ कॉम्पलैक्स, आईएनए, नई दिल्ली- 110 023

The Controller General of Accounts, O/o the Controller General of Accounts, Ministry of Finance, Department of Expenditure, Mahalekha Niyantrak Bhavan, E Block, GPO Complex, INA, New Delhi – 110 023.

2. संयुक्त निदेशक (वित्त), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा क्र. 417, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली - 110 001

The Joint Director (Finance), Railway Board, Ministry of Railways, Government of India, Room No. 417, Rail Bhavan, Raisina Road, New Delhi – 110 001.

3. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, पूर्व उच्च न्यायालय रोड, सिविल लाईन्स, पी.बी. सं. 15, नागपुर- 440 001

The Chief General Manager, Reserve Bank of India, Additional Office Building, Central Accounts Section, East High Court Road, Civil Lines, P.B.No.15, Nagpur - 440 001.

(श्रद्धा सीलकी/ Shraddha Solanki)

प्रबंधक/Manager





आज़ादी क अमृत महोत्सव

www.rbi.org.in

CO DGBA.GBD.No.S974/47-01-033/2023-2024

01 जनवरी 2024

प्रबंध निदेशक और सीईओ डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड पहली मंजिल, एक्सप्रेस टावर्स नरीमन पॉइंट मुंबई - 400 021 The Managing Director and CEO DBS Bank India Ltd. First Floor, Express Towers Nariman Point Mumbai - 400 021

महोदय,

रेल मंत्रालय की ओर से ई-फ्रेंट संग्रहण के निपटान और रिपोर्टिंग के लिए ई-फोकल प्वाइंट शाखा के रूप में डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली शाखा (आईएफएस कोड: DBSSOIN0820) का प्राधिकरण

रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 25 अगस्त 2023 के पत्र सं. 2021/ACII/9/2/e के माध्यम से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, हम रेल मंत्रालय की ओर से ई-फ्रेट संग्रहण के निपटान और रिपोर्टिंग के लिए ई-फोकल प्वाइंट शाखा के रूप में डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली शाखा (आईएफएस कोड: DBSSOIN0820) को प्राधिकृत करते हैं।

2. तदनुसार, डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड से अपेक्षित है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक, महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों का पालन करें। साथ ही बैंक द्वारा उपरोक्त सरकारी कारोबार प्रारम्भ किए जाने Dear Sir,

Authorisation of DBS Bank India Ltd., New Delhi branch (IFS Code: DBSS0IN0820) as e-Focal Point Branch for settlement and reporting of the e-freight collection on behalf of Ministry of Railways

On the basis of the request received from the Ministry of Railways, Railway Board, letter India Government of 2021/ACII/9/2/e3349409 dated December 21, 2023, we hereby authorise DBS Bank India (IFS Delhi branch Ltd.. New DBSS0IN0820) as e-Focal Point Branch for settlement and reporting of the e-freight collection on behalf of Ministry of Railways.

2. Accordingly, DBS Bank India Ltd. should adhere to the instructions issued by Reserve Bank of India, the Office of the Controller General of Accounts, Ministry of Finance and Ministry of Railways from time to time. Further, the date of commencement of the above

की तारीख मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर- 440 001 को भेजने के साथ-साथ सभी संबन्धितों को सूचित करें तथा इसकी सूचना हमें भी दें। mentioned Government business by the bank may please be communicated to all concerned including the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Accounts Section, Nagpur-440 001, under advice to us.

भवदीय/ Yours faithfully

E/-

(श्रीनी नायर / Sreeni Nair) उप महाप्रबंधक / Deputy General Manager

उक्त दिनांक का परांकन डीजीबीए.जीबीडी.सं. S975/47-01-033/2023-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:

- महालेखा नियंत्रक, महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक भवन, ई ब्लॉक, जीपीओ कॉम्पलैक्स, आईएनए, नई दिल्ली- 110 023
- 2. संयुक्त निदेशक (वित्त), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा क्र. 417, रेल भवन, रायसीना रोड, नई दिल्ली - 110 001
- 3. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, पूर्व उच्च न्यायालय रोड, सिविल लाईन्स, पी.बी. सं. 15, नागपुर- 440 001

१९०० मार्च (श्रद्धा सोलंकी) प्रबंधक

## भारत सरकार Government of india रेल मंत्रालय Ministry of Railways (रेलवे बोर्ड Railway Board)

सं. 2021/एसी।।/9/2/ई3349409

आरबीए सं. 02/2024 नई दिल्ली, दिनांक 12.01.2024

प्रधान वित्त सलाहकार सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां ।

> विषय : रेल मंत्रालय की ओर से ई-फ्रेंट कारोबार के संचालन के लिए डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड को प्राधिकृत करना तथा ई-फ्रेंट के संग्रहण,भुगतान और रिपोर्टिंग के लिए ई- एफपीबी का अनुमोदन करना तथा आरबीआई/सीएएस/नागपुर के साथ भुगतान के लिए विशेषाधिकार कोड का आबंटन।

कृपया आरबीआई/डीजीबीए/मुंबई के दिनांक 05/12/2023 के पत्र सं. सीओ.डीजीबीए.जीबीडी. सं. एस853/47-01-033/2023-2024 की संलग्न प्रतियों का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अवलोकन करें। जिसके द्वारा रेल मंत्रालय की ओर से ई-फ्रेंट कारोबार के संचालन के लिए डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड को प्राधिकृत किया गया है तथा आरबीआई/डीजीबीए/मुंबई के दिनांक 01.01.2024 पत्र सं. सीओ.डीजीबीए.जीबीडी. सं. एस975/47-01-033/2023-2024, के तहत रेल मंत्रालय की ओर से ई-फ्रेंट संग्रहण के भुगतान एवं रिपोर्टिंग के लिए डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली शाखा (आईएफएस कोड: डीबीएसएस 0आईएन0820) को ई-फोकल प्वाइंट ब्रांच के रूप में प्राधिकृत किया गया है,

कृपया पावती दें।

संलग्नक : यथोक्त

5:

(अजय बर्तवाल) संयुक्त निदेशक वित्त (सीसीए) रेलवे बोर्ड फोन नं. 23047018

ईमेल आईडी: ajay.bartwal@gov.in

## प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित

- 1. मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, सरकार एवं बैंक खाता विभाग, भायकला ऑफिस बिल्डिंग, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने, भायकला, मुंबई-400008
- 2. महालेखा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, महालेखा नियंत्रक भवन, ई-ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, डीडीए मुख्यालय के पीछे, विकास सदन, आईएनए कॉलोनी, नई दिल्ली।
- कार्यपालक निदेशक और इंडिया हेड-गवर्नमेंट बैंकिंग/डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड, द्वितीय तल, बिल्डिंग नं. 10सी,
   डीएलएफ साईबर सिटी-फेज़ III, गुरूग्राम, हरियाणा-122002
- 4. सलाहकार/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/रेल मंत्री, विशेष कार्य अधिकारी/समन्वय/रेल मंत्री, अपर निजी सचिव/रेल मंत्री।